



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-274

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 260879 दिनांक 10/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल | ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना | योजना का नाम | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज |
|---------|---------------------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | Balraj Sharma S/o SHAMBHU DAYAL | श्री दिनेश बंसल, श्री निरंजन बंसल, श्रीमती सीमा मित्तल | 38 | 671.28 SQ. YARD | Cooperative | SWAROOP VIHAR | Sub Division and Reconstitution | श्री बलराज शर्मा पुत्र श्री शम्भुदयाल त्यागी द्वारा शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्वरूप विहार के भूखण्ड संख्या 671.28 व.ग. में (मूल प्लॉट का पश्चिमी-दक्षिणी हिस्सा) क्षेत्रफल 133.33 व.ग. का उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्वरूप विहार के भूखण्ड संख्या 38 क्षेत्रफल 371.25 व.ग. की लीज डीड दिनांक 09.04.2022 को श्री दिनेश बंसल पुत्र श्री जगन्नाथ बंसल, श्री निरंजन बंसल पुत्र श्री आर.एस.बंसल, श्रीमती सीमा |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Balraj Sharma S/o SHAMBHU DAYAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |